न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 91/2017

सुलतान पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री पीथाराम पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी दुधवा खारा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये मैनेजर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.03.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मन्दरूपपुरा की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 46 तादादी 25 बीधा 13 बिश्वा, ख0न0 61 तादादी 11 बीधा 12 बिश्वा भूमि अवस्थित है जो धड़सी के वारिसान चुनिया, जीता व गोपाल उर्फ गंगाराम की खातेदारी भूमि रही है। जिसमें से गत ख0न0 46 की भूमि पूर्व में विक्रय की जा चुका है। जिसका इस वाद में कोई विवाद नहीं है। वर्तमान दावा गत ख0न0 61 तादादी 11 बीधा 12 बिश्वा हाल ख0न0 80 रकबा 2.93 है0 बाबत पेश किया गया है। जीताराम नाऔलाद फौत हो चुका है तथा जीताराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। गोपाल उर्फ गंगाराम अविवाहीत फौत हो चुका है। चुनिया व उसकी पत्नी की भी मृत्यू हो चुकी है। पीथाराम चुनिया का पुत्र था जिसकी मृत्य हो चुकी है। पीथाराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। पीथाराम के वादी सुलतान व प्रतिवादी संख्या 1 कमला दो सन्तान हुये। भूमि ख0न0 80 रकबा 2.93 है0 वादी व प्रतिवादिया को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। प्रश्नगत भूमि में कमला ने अपने हिस्से का हक त्याग वादी के हक में कर दिया है। हक त्याग के पश्चात उक्त भूमि का वादी एकमात्र उतराधिकारी है। अंत में धोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि जमीन जेर बहस ख0न0 80 तादादी 2.93 है0 वाके ग्राम मन्दरूपपुरा के खातेदार काश्तकार में जीताराम पुत्र धड़सी का नाम हजफ कर कमला का हक त्याग दर्ज करते हुये वादी को खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर वाद वादी स्वीकार कर डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू-1) पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 12 डाले। तथा वादी की ओर से नरेन्द्र कुमार पुत्र पोकरमल जाति जाट निवासी टमकोर ने अपना शपथ पत्र (पीडब्ल्यू-2) पेश किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को ख0न0 80 तादादी 2.93 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वा वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 80 तादादी 2.93 है0 वाके ग्राम मन्दरूपपुरा में जीताराम पुत्र धड़सी का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर